रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2233] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937
No. 2233] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASVINA 21, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 अक्तूबर, 2015

का.आ.2810(अ).-प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 728 (अ) दिनांक 25 फरवरी, 2014 जो भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी में इस आशोधन से पूर्व की गई अथवा करने से छोड़ी गई बातों को छोडकर संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतत द्वारा निम्नलिखित सारणी के खंड 2 में उल्लिखित अधिकारियों को जो संबंधित राज्य सरकारों में निदेशक, पुरातत्व या पुरातत्व आयुक्त के पद से नीचे नहीं हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 20 ग 20 घ के प्रयोजनार्थ उक्त तालिका के खंड (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के क्षेत्र सहित सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है,

नामश:

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	क्षेत्राधिकर	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	मुख्य नगर योजक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, पणजी –गोवा	गोवा राज्य	पूर्व अधिसूचना के क्र.सं. 7 में प्रतिस्थापित किया जाना है।
2.	निदेशक, पुरातत्व, तेलंगना सरकार, तेलंगना, हैदराबाद	तेलंगना राज्य	पूर्व अधिसूचना की तालिका में क्र.सं. 2 के पश्चात क्र.सं. 2क में प्रविष्टि के रूप में जोड़ा जाना है।

[फ़ा सं. 1/2/2013-स्मारक]

राकेश तिवारी,महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2015

S.O.2810(E).—In exercise of the powers conferred by the provision to clause (db) of Section 2 the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), and in amendment to the notification of the Government of India Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 728 (E) dated 25th February, 2014, published in Gazette of India, on 10th March, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, the Central Government hereby specifies the officers mentioned in column (2) of the Table given below, being officers not below the rank of Director Archaeology or Commissioner or Archaeology of the respective State Governments, as the competent authorities for the purpose of Sections 20C and 20D of the said Act, within the area of jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No	**Name of the officer**	**Area of jurisdiction**	**Remarks**
1	2	3	4
1.	Chief Town Planner, Town and Country Planning Department, Panaji-Goa	State of Goa	To be substituted at Sl. No.7 of previous notification
2.	Director of Archaeology, Government of Telangana, Telangana, Hyderabad	State of Telangana	To be added as Sl. No. 2A as entry after Sl. No. 2 in Table of previous notification

[F. No.1/2/2013-M]

RAKESH TEWARI, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.